प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या –891/2023

अनवान : –

1. निराणी पुत्री रामस्वरूप पत्नी माडुराम जाति बांवरी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

—— **वादीया**

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र कुरड़ाराम जाति बांवऱी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. गुलाबो देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी मेघराज जाति बांवऱी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुमित्रा देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी ओम प्रकाश जाति बांवऱी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. सावित्री देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी फुसाराम जाति बांवऱी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5 विमला पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामलाल जाति बांवऱी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादी**

निर्णय **दिनांकः** 15/5/23

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत इस आशय का पेश किया गया की वादीया एवं प्रतिवादीगण की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 128/133 की कुल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त कृषि भूमि वादी व प्रतिवादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्मजात हक हिस्सा By Birth Right है। कर्ता हिन्दु खानदान होने के कारण से प्रतिवादी संख्या 1 के अकेले के नाम दर्ज हो गई उपरोक्त भूमि में वादी व प्रतिवादीया संख्या 2 ता 5 प्रतिवादी संख्या 1 के साथ ब0 हि0 ब0 के खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 128/133 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि में वादीया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ब0 हि0 ब0 काबिज है। वादीया जिसकी न्याय... घोषणा करवा पाने की अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:40 IST
Reason: SelfAttested

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की वादी के हक हिस्सा को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक तो आजकल आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है। वादी का वाद डिक्री फरमावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी डिक्री फरमाया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेज सरपंच ग्राम पंचायत पदमपुरा द्वारा तस्दीक वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श–1, जमाबंदी कोलोनाईजेशन विभाग 2 जेएसएन प्रदर्श–2, रोही मौजा 2 जेएसएन जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता स0 128/133 प्रदर्श–3 आदि प्रदर्शित करवायें।

साक्ष्य वादी में वादीया के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 का इकबाल/आपसी सहमति पूर्व में पेश होने के कारण अन्य किसी कार्यवाही की आवश्यकता नही रही।

पत्रावली प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023 में पेश हुई वादी के अधिवक्ता ने निवेदन किया की प्रकरण में प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल/आपसी सहमति पेश हो चुकी है अर्थात वादीया के वाद के संबंध में कोई एतराज नही हैं। अतः वादीया का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमने उभयपक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 128/133 की कुल 1.0120 है0 भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से हिन्दु परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी द्वारा प्रस्तुत सदस्य प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शायें गये सजरा खानदान के अलावा प्रतिवादी सं0 1 के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 द्वारा जवाब इकबाल दावा पेश किया गया है कि वाद वादीया डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वादीया के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीया के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीया प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 128/133 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि में प्रतिवादी [illegible] वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 1/5/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गुडिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:40 IST
Reason: SelfAttested

प्रशासन गांव के संग अभियान वर्ष–2023
पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व), नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या –891 / 2023
अनवान : –

1. निराणी पुत्री रामस्वरूप पत्नी माडुराम जाति बांवरी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।

–– वादीया

बनाम्

1. रामस्वरूप पुत्र कुरड़ाराम जाति बांवरी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. गुलाबो देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी मेघराज जाति बांवरी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
3. सुमित्रा देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी ओम प्रकाश जाति बांवरी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
4. सावित्री देवी पुत्री रामस्वरूप पत्नी फुसाराम जाति बांवरी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
5 विमला पुत्री रामस्वरूप पत्नी रामलाल जाति बांवरी निवासी पदमपुरा तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 891 सन 2022 निर्णय दिनांक

आज यह वाद प्रशासन गांव के संग अभियान – 2023 कैम्प में मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्षों की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं आपसी सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 12 जेएसएन तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 128 / 133 के खसरे 4 का कुल क्षेत्रफल 1.0120 है0 भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के साथ वादीया व प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 को ब0 हि0 ब0 का बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 15/5/23 को प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष – 2023 में मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
प्रशासन गावं के संग अभियान वर्ष–2023
कैम्प कोर्ट–गुडिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.21 17:19:40 IST
Reason: SelfAttested